



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक नि.वि.1/समूह-2/डी- 529

दिनांक 26.07.2021

प्रति,

सभी वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी,
संभागीय लेखा अधिकारी-I & II, एवं
संभागीय लेखापाल

विषय: फॉर्म-51 के निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रायः, यह देखा गया है कि संभागीय लेखा अधिकारियों द्वारा नियमित प्रभार वाले संभाग के फॉर्म-51 का निराकरण तो कर दिया जाता है परन्तु अतिरिक्त प्रभार वाले संभाग के फॉर्म-51 प्रेषित करने में अधिक रूचि नहीं ली जाती है। इस कारण फॉर्म-51 लंबित रह जाते हैं। लंबित फॉर्म-51 के निराकरण में सहयोग एवं परामर्श के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जा चुके हैं। अतः, सभी संभागीय लेखा अधिकारियों / संभागीय लेखपालों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियमित संभाग के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार वाले संभाग के फॉर्म-51 का निराकरण कर, अद्यतन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्राधिकार: वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले.) के आदेश दिनांक 20.07.2021)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

दिनांक 26.07.2021

पृ.क्र.नि.वि.1/समूह-2/डी- 530

प्रतिलिपि समस्त संभागीय अधिकारी/ लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1